

(राजस्थान-सरकार)

प्रथम अपीलीय प्राधिकारी एवं अति० जिला कलक्टर, बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारी दिवांशु शर्मा(आर.ए.एस.)

प्रथम अपील संख्या :- 12/2024

पंजीकरण संख्या :- 2024/119

बउनवान

श्री रघुवीर सहरिया निवासी जगदीशपुरा, जगदीशपुरा लक्ष्मीपुरा उर्फ खांकरा तहसील किशनगंज जिला बारां (राज.)

(अपीलार्थी)

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, किशनगंज

(प्रत्यर्थी)

प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19 (1)

निर्णय दिनांक 29.07.2024

अपीलार्थी द्वारा दिनांक 31.05.2024 को लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, किशनगंज को अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6 (1) के तहत ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत कर ग्राम जगदीशपुरा, पोस्ट-बाल्दा, ग्राम पंचायत लक्ष्मीपुरा उर्फ खांखरा, तहसील किशनगंज जिला बारां का आबादी नक्शा एवं जंगलात नक्शा पुराना (2005) एवं नया तथा जनसंख्या विवरण से संबंधित सूचना चाही गई थी। आप द्वारा अपीलार्थी को किसी भी प्रकार की सूचना उपलब्ध नहीं करवाने पर उसके द्वारा इस न्यायालय में प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(1) के तहत विरुद्ध (प्रत्यर्थी) लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, किशनगंज के ऑनलाइन पेश कर निवेदन किया कि प्रथम आवेदन-पत्र में चाही गई सूचना उपलब्ध करावें।

इस पर प्रस्तुत प्रथम अपील को दिनांक 05.07.2024 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थी लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, किशनगंज को जरिये सम्मन क्रमांक 892-893 दिनांक 08.07.2024 से तलब कर, प्रस्तुत अपील मेमो की छायाप्रति भिजवाई जाकर जवाब तलब किया गया तथा अपीलार्थी को भी जरिये सम्मन क्रमांक 892-893 दिनांक 08.07.2024 से तलब किया गया।

अपीलार्थी बावजूद सूचना के अनुपस्थित है। लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, किशनगंज द्वारा पत्र क्रमांक/भू.अ./2024/5891-5892 दिनांक 23.07.2024 से जवाब इस न्यायालय में प्रस्तुत करते हुए अपीलार्थी को भी भिजवा दिया गया है।

अपीलार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, किशनगंज से ग्राम जगदीशपुरा, पोस्ट-बाल्दा, ग्राम पंचायत लक्ष्मीपुरा उर्फ खांखरा, तहसील किशनगंज जिला बारां का आबादी नक्शा एवं जंगलात नक्शा पुराना (2005) एवं नया तथा जनसंख्या विवरण से संबंधित सूचना चाही गई थी। लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, किशनगंज द्वारा पत्र क्रमांक/भू.अ./2024/5891-5892 दिनांक 23.07.2024 से इस न्यायालय में ग्राम जगदीशपुरा की जनसंख्या 249 (2011 के अनुसार) ग्राम जगदीशपुरा की नकल जमाबंदी, नक्शा व पटवारी हल्का रिपोर्ट संबंधी सूचना भिजवा दी गई है एवं अपीलार्थी को भी वांछित सूचना की प्रतिलिपियां प्रेषित कर दी गई है।

अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय में अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 की धारा 19(1) के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील एवं लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, किशनगंज से प्राप्त जवाब का अवलोकन किया गया, जिससे पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा आवेदन पत्र में चाही गई सूचना के संबंध में लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, किशनगंज द्वारा उनके कार्यालय के पत्र क्रमांक/भू.अ./2024/ 5891-5892 दिनांक 23.07.2024 से इस न्यायालय में जवाब भिजवा दिया गया है एवं अपीलार्थी को भी वांछित सूचना की प्रतिलिपियां प्रेषित कर दी गई है।

परिणामस्वरूप अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(1) के तहत खारिज की जाती है। लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, किशनगंज को आदेशित किया जाता है कि सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(1) के तहत आपके कार्यालय में प्राप्त होने वाले ऑफलाइन/ऑनलाइन आवेदन पत्र में चाही गई सूचना अथवा उससे संबंधित जवाब आवेदनकर्ता को अन्दर समय सीमा 01 माह में आवश्यक रूप से प्रेषित किया जावें। इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की सत्य प्रतिलिपि अपीलार्थी को एवं लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, किशनगंज को रजिस्टर्ड डाक से सूचनार्थ भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक **29.07.2024** को सरे ईजलास सुनाया गया।

(दिवांशु शर्मा)
अति० जिला कलक्टर,
बारौ